10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

506

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला--छतरपुर

R - 363 II/13

श्यामलाल पुत्र मोतीलाल उर्फ मुतियां कुशवाह, निवासी-- सांदनी तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1— रामलाल पुत्र हनरिया चमार

2— हरिया पुत्र करिया चमार

निवासीगण— सांदनी तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार राजनगर, जिला–छतरपुर द्वारा ग्राम सांदनी पटवारी हल्का नं. 43 राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी, तहसील अशोकनगर जिला--छतरपुर के P-II खसरा पांच शाला वर्ष 97--98 में बिना किसी अधिकार एवं आदेश के मध्यप्रदेश शासन का नाम उल्लेख किये जाने के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1— यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजनगर द्वारा आवेदक के विरूद्ध राजस्व अभिलेखों में जो कार्यवाही की है वह अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2— यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 216 रकवा 0.863, सर्वे क्रमांक 219 रकवा 0.644 एवं सर्वे क्रमांक 221 रकवा 0.599 आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिसका पट्टा उनके पूर्वजों को वर्ष 1943–44 में जारी किया गया था। तब से वह निरन्तर कास्त करके काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु तहसीलदार द्वारा बिना किसी आदेश के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम हटाकर मध्यप्रदेश सरकार स्थापित कर दिया गया है। अतः ऐसा आदेश अधिकारिता रहित आदेश होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3— यहकि, तहसीलदार राजनगर का आदेश बिना किसी आदेश से किया गया है। अतः अधिकारिता रहित आदेश है, जिसमें परिसीमा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसलिये माननीय न्यायालय उपरोक्त स्थिति पर विधिवत् विचार कर आवेदक का नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेखों में स्थापित किये जाने के आदेश न्यायहित में दिये जाने चाहिये।

4— यहकि, आवेदक द्वारा पट्टा संवत 10.. सन् 1943–44 में उपरोक्त भूमि आवेदक के पितामह के नाम भी ... राजस्व अभिलेख की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-363-दो/2013 जिला छतरपुर श्यामलाल विरूद्ध रामलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के द्वारा ग्राम सादनी हल्का नं. 43 के P-दो खसरा पांच शाला वर्ष 1997-98 में बिना किसी अधिकार एवं आदेश के म.प्र.शासन का नाम उल्लेख किये जाने के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-01-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन	

24.01.19

पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

24/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य